



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2010/पौष 30, 1931

No. 32]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2010/PAUSA 30, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2010

सं. भा.आ.प.-34(1)/2009-मेडि/66611.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाती है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभण और अनुप्रयोज्यता :

(1) इन विनियमों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव) विनियमावली, 2009 कहा जाए।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य :

मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में छात्र संघ का शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना।

3. परिभाषाएं : इन विनियमों के उद्देश्य के लिए :

3.1 भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का अर्थ है — भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अनुसार संसद के अधिनियम द्वारा गठित की गई भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्।

3.2 विश्वविद्यालय का अर्थ है — किसी केन्द्रीय अधिनियम, किसी प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत संस्थापित किया गया या अधिनिगमित कोई विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के रूप में मानित संस्थान या डिग्रियां प्रदान करने या देने के लिए संसद के किसी अधिनियम द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त कोई संस्थान।

3.3 मेडिकल कॉलेज/ संस्थान का अर्थ है कोई ऐसा संस्थान, चाहे वह संस्थान के नाम से जाना जाता हो या किसी अन्य नाम से, जो बारहवीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा के पश्चात किसी विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. की शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने हेतु कोई कार्यक्रम उपलब्ध कराता है और जो ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार अध्ययन के ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सक्षम संस्थान के रूप में मान्यताप्राप्त है और जो मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस./ स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा की शैक्षिक योग्यताएं प्रदान करने हेतु अध्ययन के ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करता है।

3.4 संस्थान प्रमुख का अर्थ है — संबंधित मेडिकल कॉलेज/ संस्थान का डीन/ प्रधानाचार्य/ निदेशक।

4. पूरे देश में मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय में चुनाव कराना

4.1 पूरे देश में मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय सामान्यतः छात्र प्रतिनिधि निकाय में छात्रों के लिए चुनाव कराएंगे। ये चुनाव निर्धारित तरीके से कराए जाएंगे।

4.2 जहां शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वातावरण प्रतिकूल है, ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय प्राधिकारी, नामांकनों के आधार पर छात्र प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली आरंभ करेगा। तथापि, यह उपयुक्त होगा कि इस नामांकन प्रणाली को पूर्णतः अकादमिक मेरिट पर आधारित न रखा जाए।

4.3 ऐसे मामलों में, जहां चुनाव नहीं कराए जाते हैं या जहां नामांकन मॉडल प्रचलित है, यह नामांकन मॉडल अल्पकालिक अवधि के लिए जारी रहने दिया जाना चाहिए।

4.4 प्रत्येक मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय पांच वर्ष की अवधि के अंदर नामांकन मॉडल से संरचित चुनाव मॉडल में परिवर्तित हो जाएगा।

4.5 सभी मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय छात्र प्रतिनिधित्व प्रक्रिया तंत्र की समीक्षा करेंगे। पहली समीक्षा ऊपर वर्णित प्रक्रिया तंत्र के कार्यान्वयन के दो वर्ष के पश्चात की जाएगी और दूसरी समीक्षा कार्यान्वयन के तीसरे या चौथे वर्ष के पश्चात की जाएगी। इन समीक्षाओं का प्राथमिक उद्देश्य, प्रत्येक अलग-अलग संस्थान में प्रतिनिधित्व और चुनाव प्रक्रिया तंत्र की सफलता का पता लगाना होगा ताकि यह

निर्णय लिया जा सके कि क्या संपूर्ण चुनाव संरचना लागू की जाए या नहीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये समीक्षाएं, छात्रों, संकाय सदस्यों, प्रशासन, छात्र निकायों और माता-पिता के विचारों और सुझावों पर विचार करने पर आधारित होंगी।

4.6 प्रत्येक मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन के सुसंगत मुद्दे की शर्त के अधीन, एक प्राथमिक उद्देश्य के रूप में, इस विनियमावली की अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने तक छात्र चुनावों की संरचित प्रणाली के कार्यान्वयन का प्रयत्न करेगा।

4.7 चुनाव के तरीके के विकल्प के संबंध में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की शर्त के अधीन सभी मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय एक ऐसा सर्वोच्च छात्र प्रतिनिधि निकाय स्थापित करेंगे, जो विश्वविद्यालय विशेष के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों, कॉलेजों और विभागों का प्रतिनिधित्व करता हो। विश्वविद्यालय के भौगोलिक रूप से फैले हुए होने की स्थिति में अलग-अलग कॉलेज अपने-अपने प्रतिनिधिक निकाय गठित कर सकते हैं, जो आगे सर्वोच्च विश्वविद्यालय निकाय के लिए प्रतिनिधि चुनेंगे।

4.8 इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय में केवल संस्थान की नामावली में होने वाले नियमित छात्र ही होंगे। न तो किसी संकाय सदस्य को और न ही प्रशासन के किसी सदस्य को ऐसे प्रतिनिधिक निकाय की कार्यकारिणी में किसी पद पर रहने की अनुमति दी जाएगी और न ही किसी ऐसे प्रतिनिधिक निकाय का सदस्य होने की अनुमति दी जाएगी।

5. चुनावों के तरीके

5.1 छात्र निकाय के पदाधिकारियों के प्रत्यक्ष चुनाव की एक प्रणाली होगी, जिसके द्वारा सभी संघटक कॉलेजों के सभी छात्र और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विभागों के सभी छात्र पदाधिकारियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से मत डालेंगे। इस मॉडल का एक ग्राफिक प्रदर्शन अनुबंध-क के साथ संलग्न है।

विस्तृत परिसरों और बड़े छात्र निकायों वाले विश्वविद्यालयों के संबंध में निम्नलिखित मॉडलों में से कोई मॉडल अपनाया जा सकता है।

5.2 चुनावों की एक ऐसी प्रणाली, जिसमें कॉलेज और परिसर, कॉलेज तथा परिसर के पदाधिकारियों तथा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया

जाता है। विश्वविद्यालय के ये प्रतिनिधि एक अलग इलेक्ट्रोरल कॉलेज गठित करेंगे, जो विश्वविद्यालय की छात्र संघ के पदाधिकारियों का चयन करेंगे। इस मॉडल का एक ग्राफिक प्रदर्शन अनुबंध-ख के साथ संलग्न है।

5.3 चुनावों की एक ऐसी प्रणाली, जिसमें एक ओर कॉलेज तथा परिसर के पदाधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। विश्वविद्यालय के ये प्रतिनिधि एक इलेक्ट्रोरल कॉलेज का गठन करेंगे, जो विश्वविद्यालय की छात्र संघ के पदाधिकारियों का चयन करेगा। इस मॉडल का एक ग्राफिक प्रदर्शन अनुबंध-ग के साथ संलग्न है।

5.4 निर्वाचन की एक ऐसी प्रणाली, जिसमें कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के परिसर में कक्षा के प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा और वे बदले में कॉलेज की संघों तथा विश्वविद्यालय परिसर की संघों के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। वे विश्वविद्यालय की छात्र संघ के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव भी करेंगे। कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय परिसर से निर्वाचित ये प्रतिनिधि एक इलेक्ट्रोरल कॉलेज गठित करेंगे, जो विश्वविद्यालय की छात्र संघ के पदाधिकारियों का चुनाव करेगा। यह मॉडल बड़ी संख्या वाले संबद्ध मेडिकल कॉलेजों/ संस्थानों वाले बड़े स्वास्थ्य-विज्ञान विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे। इस मॉडल का एक ग्राफिक प्रदर्शन अनुबंध-घ के साथ संलग्न है।

6. छात्र चुनावों और छात्र प्रतिनिधित्व का राजनीतिक दलों से विसंयोजन।

6.1 चुनावों की अवधि के दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय की नामावली में कोई छात्र नहीं है, को किसी भी हैसियत से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति/ अभ्यर्थी या छात्र संगठन के सदस्य पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7. चुनाव प्रक्रिया की बारंबारता और अवधि

7.1 चुनाव प्रचार की अवधि सहित, नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से परिणाम

घोषित किए जाने की तारीख तक चुनावों की पूरी प्रक्रिया में दस दिन से अधिक नहीं लगेंगे।

- 7.2 ये चुनाव अकादमिक सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से 6 से 8 सप्ताह के बीच वार्षिक आधार पर किए जाएंगे।

8. अभ्यर्थियों के लिए पात्रता संबंधी मानदंड

- 8.1 16 और 26 वर्ष की आयु के बीच के स्नातक-पूर्व छात्र चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र होने की अधिकतम आयु सीमा 22 से 30 वर्ष के बीच होगी।

- 8.2 किसी भी स्थिति में कोई भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के वर्ष में अकादमिक एरियर वाला नहीं होगा।

- 8.3 अभ्यर्थी, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई उपस्थिति की न्यूनतम प्रतिशत या 75 प्रतिशत उपस्थिति, इनमें से जो भी अधिक हो, प्राप्त करेगा।

- 8.4 अभ्यर्थी को पदाधिकारी के पद के लिए चुनाव लड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा और कार्यकारिणी के किसी पद के लिए चुनाव लड़ने के दो अवसर प्राप्त होंगे।

- 8.5 अभ्यर्थी का कोई पिछला आपराधिक रिकार्ड नहीं होगा, अर्थात् उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया होगा और/ या किसी फौजदारी अपराध या दुर्व्यवहार के लिए उसे सजा नहीं सुनाई गई होगी। अभ्यर्थी पर मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की गई होगी।

- 8.6 अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय का नियमित, पूर्णकालिक छात्र होगा, अर्थात् सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम किसी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में होंगे।

9. चुनाव – संबंधित व्यय और वित्तीय जवाबदेही

- 9.1 प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम अनुमत व्यय 5,000/- रुपए होगा।

- 9.2 प्रत्येक अभ्यर्थी परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के अंदर मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय को संपूर्ण और लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगा। मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय इन लेखापरीक्षित लेखाओं को, उचित माध्यम से ये लेखे प्रस्तुत किए जाने के दो दिन के अंदर प्रकाशित करेगा ताकि छात्र निकाय का कोई सदस्य इनकी जांच स्वतंत्र रूप से कर सके।
- 9.3 उक्त नियम का पालन न करने या व्यय अधिक हो जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा।
- 9.4 अभ्यर्थियों पर यह प्रतिबंध होगा कि वे किसी राजनीतिक दल या छात्र निकाय से स्वैच्छिक अंशदान के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त निधि का उपयोग कर सकें।
10. अभ्यर्थियों और निर्वाचन प्रशासकों के लिए आचरण संहिता
- 10.1 कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसके लिए नहीं उकसाएगा, जो विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच या छात्रों के किसी समूह (समूहों) के बीच मतभेदों को बढ़ावा दे या आपसी घृणा उत्पन्न करे या तनाव का कारण बने।
- 10.2 अभ्यर्थी, अन्य अभ्यर्थियों या उन अभ्यर्थियों के समर्थकों के सार्वजनिक क्रियाकलापों के साथ असम्बद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बाज आएंगे। असत्यापित आरोपों या तरोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा। आलोचना, नीतियों, कार्यक्रमों या पिछले रिकार्ड तथा कार्य तक सीमित रहेगी।
- 10.3 मत प्राप्त करने के लिए किसी जाति या सामुदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। चुनाव के प्रचार के लिए परिसर के अंदर या उसके बिना किसी धार्मिक स्थान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

- 10.4 सभी अभ्यर्थियों के लिए यह निषेध होगा कि वे किसी ऐसे क्रियाकलापों में लगे या उनके लिए उकसाएं, जिन्हें 'अनुचित पद्धति' तथा 'अपराध' माना जाता है। जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाओं की छद्मव्यक्तिता, मतदान केंद्रों से 100 मीटर के अंदर प्रचार करना या प्रचार के लिए उसे इस्तेमाल करना, मतदान के बंद होने के लिए निर्धारित किए गए समय की समाप्ति के पश्चात 24 घंटे की अवधि के अंदर जनसभा आयोजित करना तथा मतदान केंद्र पर ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए मतदाताओं के लिए वाहन या सवारी की व्यवस्था करना।
- 10.5 किसी भी अभ्यर्थी को यह अनुमति नहीं दी जाएगी कि वह प्रचार के उद्देश्य के लिए छपे हुए पोस्टरों, छपे हुए पम्पलेटों या छपी हुई किसी अन्य सामग्री का इस्तेमाल करे। अभ्यर्थी प्रचार के उद्देश्य के लिए केवल हाथ से बनाए गए पोस्टरों का उपयोग कर सकता है बशर्ते कि इस प्रकार हाथ से बनाए गए पोस्टर ऊपर उल्लिखित व्यय की सीमा के अंदर प्राप्त किए गए हों।
- 10.6 अभ्यर्थी, हाथ से बनाए गए पोस्टरों का उपयोग परिसर में केवल ऐसे निश्चित स्थानों पर करेंगे, जो निर्वाचन आयोग/ मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा पहले से ही अधिसूचित किए गए हों।
- 10.7 किसी भी अभ्यर्थी को यह अनुमति नहीं दी जाएगी कि वह मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जलूस निकाले या जन सभाएं आयोजित करे या किसी भी प्रकार से प्रचार करे या प्रचार सामग्री वितरित करे।
- 10.8 कोई भी अभ्यर्थी या उसके समर्थक किसी भी उद्देश्य के लिए कॉलेज/ विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय के परिसर की किसी संपत्ति को विकृत नहीं करेगा या क्षति नहीं पहुंचाएगा। सभी अभ्यर्थियों को किसी मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय की संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाने/ वितरित करने के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- 10.9 चुनाव अवधि के दौरान अभ्यर्थी जलूस निकाल सकते हैं और/ या जनसभा आयोजित कर सकते हैं बशर्ते कि ये जलूस और/ या जनसभाएं किसी भी प्रकार

से मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय की कक्षाओं या अन्य अकादमिक तथा सह-पाठ्यचर्यात्मक क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न न करे। इसके अलावा, ये जलूस/ जनसभाएं मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकते।

- 10.10 प्रचार के उद्देश्य के लिए लाउडस्पीकरों, वाहनों और पशुओं के इस्तेमाल का निषेध होगा।
- 10.11 मतदान के दिन छात्र संगठन और अभ्यर्थी (i) शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान करने तथा किसी मतभेद या बाधा के बिना अपने मतदान का प्रयोग करने की मतदाताओं को पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने; (ii) मतदान के दिन पानी के अलावा कोई खाद्य सामग्री या अन्य ठोस या तरल उपभोग्य पदार्थ वितरित न करने या न परोसने; (iii) मतदान के दिन कोई प्रचार सामग्री न बांटने में चुनाव ड्यूटी पर लगे अधिकारियों का सहयोग करेंगे। मतदाताओं के अलावा, कोई भी व्यक्ति मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से प्राप्त वैध पास/ प्राधिकार पत्र के बिना मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा।
- 10.12 मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय प्राधिकारी निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे। मानित विश्वविद्यालयों और स्व-वित्तपोषी संस्थानों के मामले में पर्यवेक्षकों के रूप में सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव कराने के संबंध में यदि अभ्यर्थियों को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे इसे पर्यवेक्षक की जानकारी में लाएंगे। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, छात्र प्रतिनिधित्व के नामांकन मॉडल अपनाने वाले संस्थानों में छात्रों के नामांकन की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए की जाएगी।
- 10.13 मतदान संपन्न होने के 48 घंटे के अंदर मतदान क्षेत्र की सफाई करना सुनिश्चित करने हेतु सभी अभ्यर्थी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 10.14 उपरोक्त सिफारिशों के किसी उल्लंघन से अभ्यर्थी अपनी उम्मेदवारी या अपने निर्वाचित पद, जैसा भी मामला हो, से वंचित हो जाएगा। निर्वाचन आयोग/ मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय प्राधिकारी, किसी उल्लंघनकर्ता के खिलाफ समुचित अनुशासनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं।

10.15 उपरोक्त आचरण संहिता के अलावा, भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 153-क और अध्याय IX-क - "चुनाव से संबंधित अपराध") के कुछ उपबंध छात्रों के चुनाव पर लागू होंगे।

11. शिकायत निवारण प्रक्रिया तंत्र

11.1 अध्यक्ष के रूप में डीन (छात्र कल्याण)/ छात्र संबंधी मामलों के प्रभारी अध्यापक, सदस्य के रूप में एक वरिष्ठ संकाय सदस्य और एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा अंतिम वर्ष के दो छात्रों - एक लड़का और एक लड़की (चुनाव के परिणामों की घोषण होने तक मेरिट और/ या पिछले वर्ष में सह-पाठ्यचर्यात्मक में प्रतिभागिता के आधार पर छात्र नामांकित किए जा सकते हैं) वाला एक शिकायत निवारण सैल गठित किया जाएगा। चुनाव संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण सैल का गठन अनिवार्य होगा। परंतु यह चुनाव की आचरण संहिता के उल्लंघन तक तथा चुनाव संबंधी खर्चों से संबंधित शिकायतों तक सीमित नहीं होगा। यह सैल संस्थान की एक नियमित इकाई होगी।

11.2 अपनी ड्यूटियों के अनुसरण में शिकायत निवारण सैल आचरण संहिता या शिकायत निवारण सैल के किसी निर्णय के किसी पहलू के उल्लंघनकर्ता को सजा दे सकेगा। शिकायत निवारण सैल मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रूप में काम करेगा। चुनाव कराने से उत्पन्न ऐसे विवादों जिनमें शिकायत निवारण सैल ने अंतिम निर्णय जारी कर दिया है या कानून तथा तथ्यों के सभी मामलों के मुद्दों पर संस्थान प्रमुख को अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा। पुनरावलोकन करने के पश्चात् संस्थान का प्रमुख, शिकायत निवारण सैल द्वारा लगाई गई धाराओं को समाप्त कर सकता है या उनमें संशोधन कर सकता है।

11.3 अपने कार्यालय की ड्यूटियां निभाने में शिकायत निवारण सैल उन ड्यूटियों को पूरा करने के लिए आवश्यक सुनवाई करेगा तथा कार्यवाही चलाएगा। उन ड्यूटियों का पालन करते हुए उन्हें : (i) अभ्यर्थियों, एजेंटों और कार्यकर्ताओं को बाध्य करने हेतु सम्मन याचिका जारी करने तथा गवाही देने और आवश्यक रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु पेश होने के लिए छात्रों से अनुरोध करना; और (ii)

किसी अभ्यर्थी की वित्तीय रिपोर्टों का निरीक्षण करने तथा अनुरोध किए जाने पर सार्वजनिक संवीक्षा के लिए ये रिकार्ड उपलब्ध कराने का अधिकार होगा।

11.4 शिकायत निवारण सैल के सदस्यों पर शिकायत दायर करने का निषेध है। कोई अन्य छात्र परिणामों की घोषणा होने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के अंदर शिकायत निवारण सैल में शिकायत दायर कर सकता है। शिकायत निवारण सैल, शिकायतों को खारिज करके या सुनवाई करके, शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात 24 घंटे के अंदर सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा।

11.5 शिकायत निवारण सैल शिकायतों को खारिज कर सकता है, यदि (i) शिकायत निर्धारित समय-सीमा के अंदर दायर नहीं की गई थी; (ii) शिकायत में उस वाद कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके लिए राहत प्रदान की जा सकती है; (iii) शिकायत से कोई क्षति या हानि नहीं हुई है और/ या होने की संभावना नहीं है।

11.6 यदि शिकायत खारिज नहीं की गई है तो उस पर सुनवाई की जाएगी। शिकायत निवारण सैल शिकायत करने वाली पार्टी और व्यक्तियों या समूहों, जिनका शिकायत में नाम दिया गया है, को लिखित में या ई-मेल के द्वारा सुनवाई के समय तथा स्थान की सूचना देगा। पार्टियों को तब तक सूचित किया गया नहीं माना जाएगा जब तक उन्होंने शिकायत की एक प्रति प्राप्त न कर ली हो।

11.7 शिकायत की सुनवाई यथाशीघ्र की जाएगी, परंतु ऊपर उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति के पश्चात 24 घंटे के अंदर से अधिक समय में नहीं, जब तक कि सभी पार्टियां 24 घंटे की समय-सीमा में छूट देने पर सहमत न हो जाएं।

11.8 सुनवाई का नोटिस जारी किए जाते समय शिकायत निवारण सैल बहुमत से एक अस्थायी स्थगन आदेश जारी कर सकता है, यदि वह यह निर्णय करे कि किसी व्यक्ति या सत्ता पर अनुचित या प्रतिकूल प्रभाव डालने से रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है। एक बार जारी कर दिया गया कोई स्थगन आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक शिकायत निवारण सैल का निर्णय, सुनवाई के पश्चात

घोषित न कर दिया जाए या जब तक शिकायत निवारण सैल द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाए।

- 11.9 शिकायत निवारण सैल की सभी सुनवाई, कार्यवाहियां और बैठकें जनता के लिए खुली होंगी।
- 11.10 शिकायत निवारण सैल की सुनवाई वाली सभी पार्टियां सुनवाई में पेश होंगी, उनके साथ कोई अन्य ऐसा छात्र भी हो सकता है जिससे वे सलाह प्राप्त कर सकती हैं और उनके पास परामर्शदाता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का विकल्प भी होगा।
- 11.11 किसी सुनवाई के लिए शिकायत निवारण सैल के मौजूद सदस्यों में से अधिकांश उपस्थित होंगे और शिकायत निवारण सैल का अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी, अध्यक्ष महोदय द्वारा नामजद किए गए शिकायत निवारण सैल के किसी सदस्य पर होगी।
- 11.12 शिकायत निवारण सैल सुनवाई का फारमेट निर्धारित करेगा, परंतु यह आवश्यक होगा कि किसी शिकायत, अनुत्तरित प्रश्नों, खंडन तथा प्रति-प्रत्युत्तर फारमेट के माध्यम से मुद्दों पर चर्चा करने हेतु बोर्ड के समक्ष शिकायतकर्ता और प्रतिवादी पार्टियों, दोनों ही व्यक्तिगत रूप से पेश होंगी। सुनवाई का उद्देश्य यह है कि निर्णय, आदेश या व्यवस्था जिससे चुनाव संबंधी विवाद का निपटान होगा, जारी करने हेतु आवश्यक सूचना प्राप्त की जाए। इस उद्देश्य को प्रभावशाली बनाने हेतु सभी सुनवाइयों में निम्नलिखित नियम लागू होंगे:
- शिकायत करने वाली पार्टियों को दो गवाहों से अधिक गवाह पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, शिकायत निवारण सैल गवाहों को बुला सकता है, यदि वह आवश्यक समझे। यदि उक्त गवाह सुनवाई में पेश होने में असमर्थ हैं तो परोक्षी द्वारा गवाही देने के उद्देश्य के लिए शिकायत निवारण सैल के अध्यक्ष के समक्ष लिखित शपथपत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

- विवाद से संबंधित पार्टियों द्वारा सभी प्रश्न/ चर्चाएं शिकायत निवारण सैल को भेजी जाएंगी।
- सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता या प्रतिवादी पार्टियों द्वारा किसी पार्टी या गवाह के साथ सीधी बातचीत या जिरह नहीं की जाएगी।
- शिकायत निवारण सैल द्वारा उचित समय-सीमा निर्धारित की जाएगी बशर्ते कि वे दोनों पक्षों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करें।
- सिद्ध करने की जिम्मेदारी शिकायत करने वाली पार्टी की होगी।
- शिकायत निवारण सैल के निर्णयों, आदेशों और व्यवस्थाओं पर, शिकायत निवारण सैल के उपस्थित सदस्यों में से बहुमत द्वारा सहमति व्यक्त की जाएगी और सुनवाई के पश्चात यथाशीघ्र इसकी घोषणा की जाएगी। शिकायत निवारण सैल निर्णय की घोषणा के 12 घंटे के अंदर व्यवस्था की एक लिखित राय जारी करेगा। इस लिखित राय में शिकायत निवारण सैल का तथ्यान्वेषण और इसके समर्थन में कानून का निष्कर्ष दिया जाएगा। लिखित राय में शिकायत निवारण सैल की व्यवस्था के लिए तीन चुनाव चक्रों की समय अवधि के लिए पूर्वोदाहरण दिया जाएगा और अपनी कार्यवाहियों में शिकायत निवारण सैल का मार्गदर्शन करे। पूर्व लिखित राय पर विचार करने के पश्चात शिकायत निवारण सैल निर्णय को रद्द कर सकता है, परंतु वह ऐसा करने के कारणों का लिखित प्रलेख उपलब्ध कराएगा।
- यदि शिकायत निवारण सैल के निर्णय के खिलाफ संस्था प्रमुख को अपील की जाती है तो शिकायत निवारण सैल तुरंत आयोग को अपनी व्यवस्था प्रस्तुत करेगा।
- शिकायत निवारण सैल अपने द्वारा यथानिर्धारित उल्लंघनकर्ता की मंशा या मनोदशा तथा उल्लंघन के पार्थक्य, दोनों प्रकार के सबसे उपयुक्त उपचार या मंजूरी का चयन करेगा। इनमें संभावित उपचार और मंजूरियां शामिल हैं, परंतु

यह जुर्माने, प्रचार के विशेषाधिकार के निलंबन और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने तक ही सीमित नहीं हैं।

- किसी चुनाव चक्र में किसी अभ्यर्थी के खिलाफ लगाया गया कोई जुर्माना या जुर्मानों की कोई धनराशि इसमें ऊपर यथापरिभाषित धनराशि खर्च करने की सीमा से अधिक नहीं होगी।
- यदि सुनवाई के पश्चात शिकायत निवारण सैल यह पाता है कि किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के एजेंट या कार्यकर्ता द्वारा इस संहिता के उपबंधों का उल्लंघन किया गया था, तो शिकायत निवारण सैल अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के एजेंट या कार्यकर्ता के प्रचार के कुछ समय या बाकी बचे पूरे समय के लिए प्रचार के कुछ या सभी क्रियाकलापों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा सकता है। यदि कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है, जिसमें बाकी बची अवधि का केवल एक भाग कवर होता है तो यह तुरंत लागू हो जाएगा ताकि इस अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी को चुनाव के दिनों सहित और उससे तुरंत पहले के दिनों के दौरान चुनाव प्रचार में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके।
- यदि सुनवाई के पश्चात शिकायत निवारण सैल यह पाता है कि किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के एजेंट या कार्यकर्ताओं द्वारा या तो इस संहिता के उपबंधों या शिकायत निवारण सैल के निर्णयों, राय, आदेशों या व्यवस्था का जानबूझकर या दुराग्रहपूर्वक उल्लंघन किया गया है, तो शिकायत निवारण सैल अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर सकता है।
- शिकायत निवारण सैल के किसी निर्णय से प्रतिकूलतः प्रभावित कोई पार्टी, प्रतिकूल निर्णय के घोषित किए जाने के पश्चात 24 घंटे के अंदर संस्थान प्रमुख के पास एक अपील दायर कर सकती है। संस्थान प्रमुख को ऐसे सभी मामलों में, जिनमें शिकायत निवारण सैल की ओर से गलती हुई है, पर विवेकाधीन अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

- शिकायत निवारण सैल का निर्णय तब तक कायम रहेगा और पूरी तरह लागू रहेगा जब तक अपील दायर न कर दी जाए और उस पर संस्थान प्रमुख द्वारा निर्णय न दे दिया जाए।
- संस्थान प्रमुख, यथाशीघ्र शिकायत निवारण सैल की व्यवस्था के खिलाफ की गई अपीलों की सुनवाई यथाशीघ्र करेगा, परंतु मामले में अपनी लिखित राय की एक प्रति अपीलकर्ता और संस्था प्रमुख को शिकायत निवारण सैल द्वारा सौंप दिए जाने के पश्चात 24 घंटे से अधिक समय के अंदर नहीं। इस समय-सीमा से पहले-पहले अपील की सुनवाई की जा सकती है, परंतु केवल तभी यदि अपीलकर्ता लिखित राय के प्रति अपने अधिकार में छूट दे दे और संस्था प्रमुख इस छूट को स्वीकार करने पर सहमत हो जाए।
- संस्था प्रमुख, शिकायत निवारण सैल द्वारा जारी की गई व्यवस्था के प्रचालन को निलंबित करने या आस्थगित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी कर सकता है जब तक कि अपील पर निर्णय न ले लिया जाए।
- संस्था प्रमुख शिकायत निवारण सैल के निष्कर्षों की समीक्षा करेगा, यदि इसके लिए अपील की जाए। संस्था प्रमुख, शिकायत निवारण सैल के निर्णय की पुष्टि कर सकता है या उसे पलट सकता है या लगाए गए प्रतिबंधों में संशोधन कर सकता है।

12. चुनाव प्रक्रिया के दौरान परिसर में कानून और व्यवस्था बनाए रखना

- 12.1 गंभीर अव्यवस्था या फौजदारी अपराध करने की किसी घटना की सूचना यथाशीघ्र, परंतु अपराध के तथाकथित रूप से किए जाने के पश्चात 12 घंटे से पहले-पहले, मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा पुलिस को दी जाएगी।

13. विविध सिफारिशें

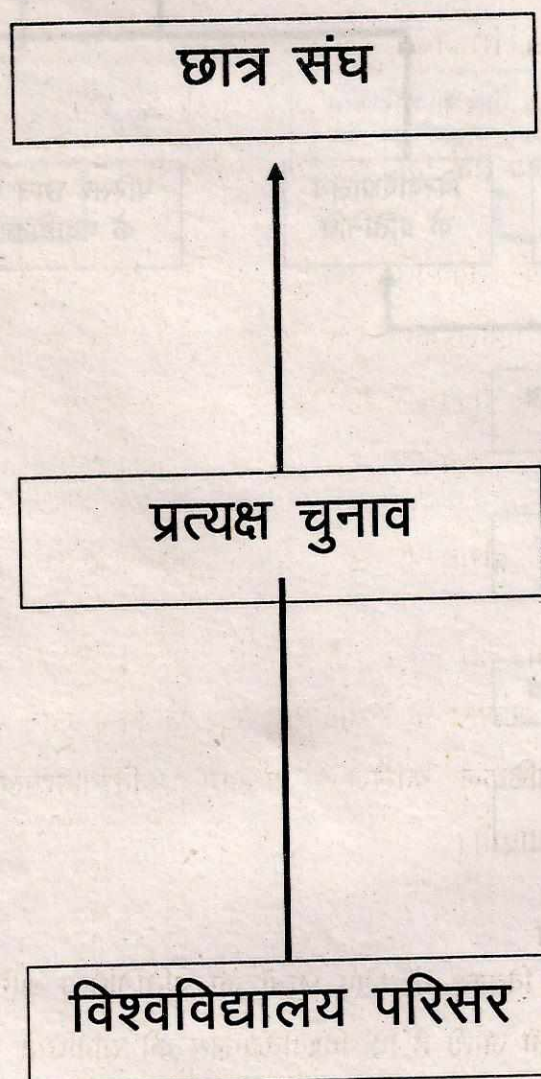
- 13.1 छात्रों के समग्र विकास के लिए छात्रों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है और इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि विश्वविद्यालय की संविधियों में स्पष्ट रूप से छात्रों के प्रतिनिधित्व का उपबंध किया जाए।

- 13.2 मेडिकल कॉलेज/ संस्थान/ विश्वविद्यालय को व्यावसायिक संगठनों की सहायता से नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास किया जा सके और इसे उनके मन में बिठाया जा सके।
- 13.3 पदाधिकारियों के किसी प्रमुख पद के चुनावों के दो महीने के अंदर खाली हो जाने की स्थिति में पुनः चुनाव किए जाने चाहिए, अन्यथा उप-प्रधान को प्रधान के पद पर तथा संयुक्त सचिव को सचिव के पद पर, जैसा भी मामला हो, पदोन्नत किया जा सकता है।

अनुबंध-क

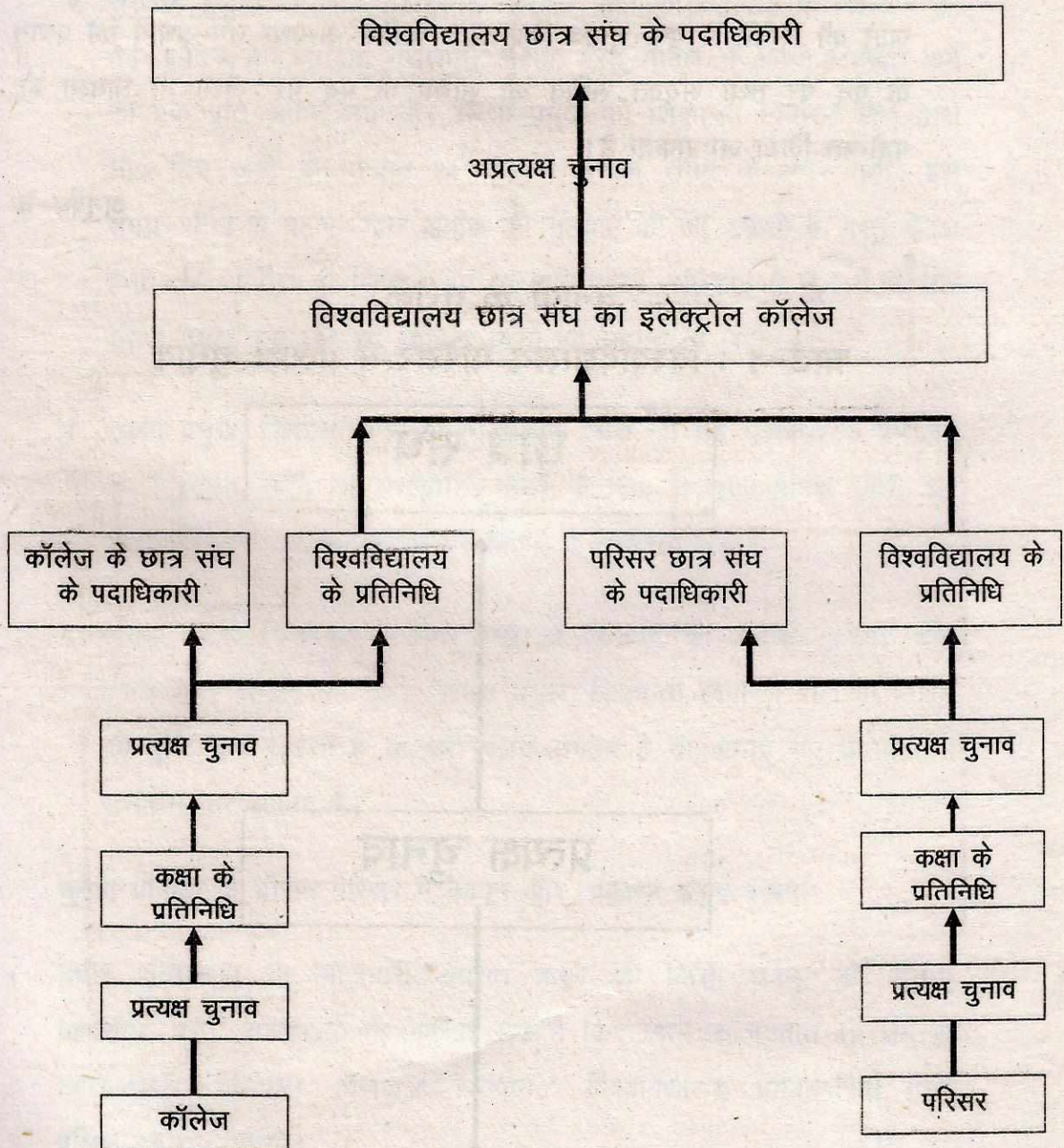
चुनावों के तरीके

चार्ट-1 : विश्वविद्यालय परिसर में प्रत्यक्ष चुनाव



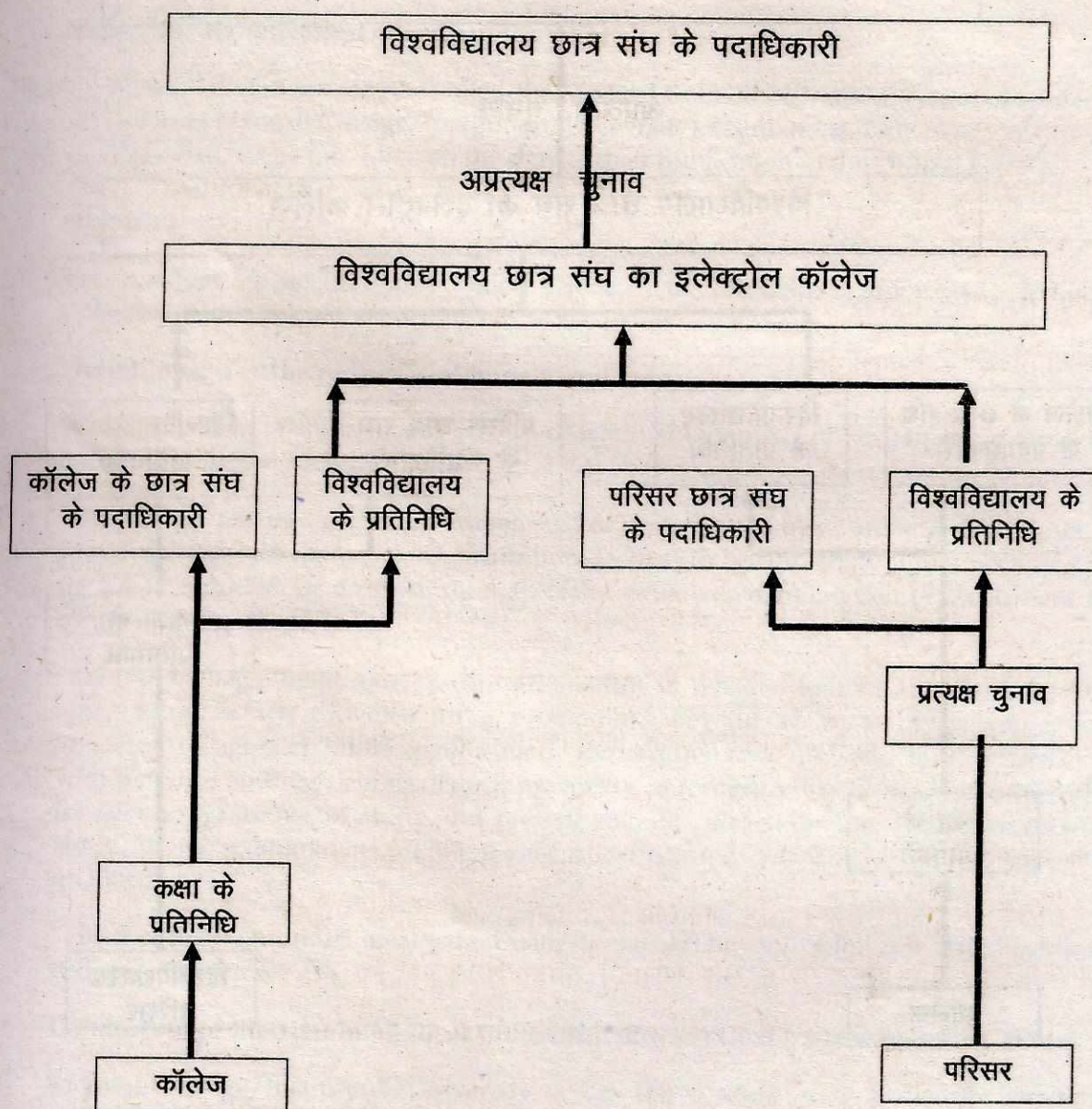
अनुबंध-ख

चार्ट - 2 : कॉलेज/परिसर/ विश्वविद्यालय (अपेक्षाकृत बड़े विश्वविद्यालयों) में प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष चुनाव



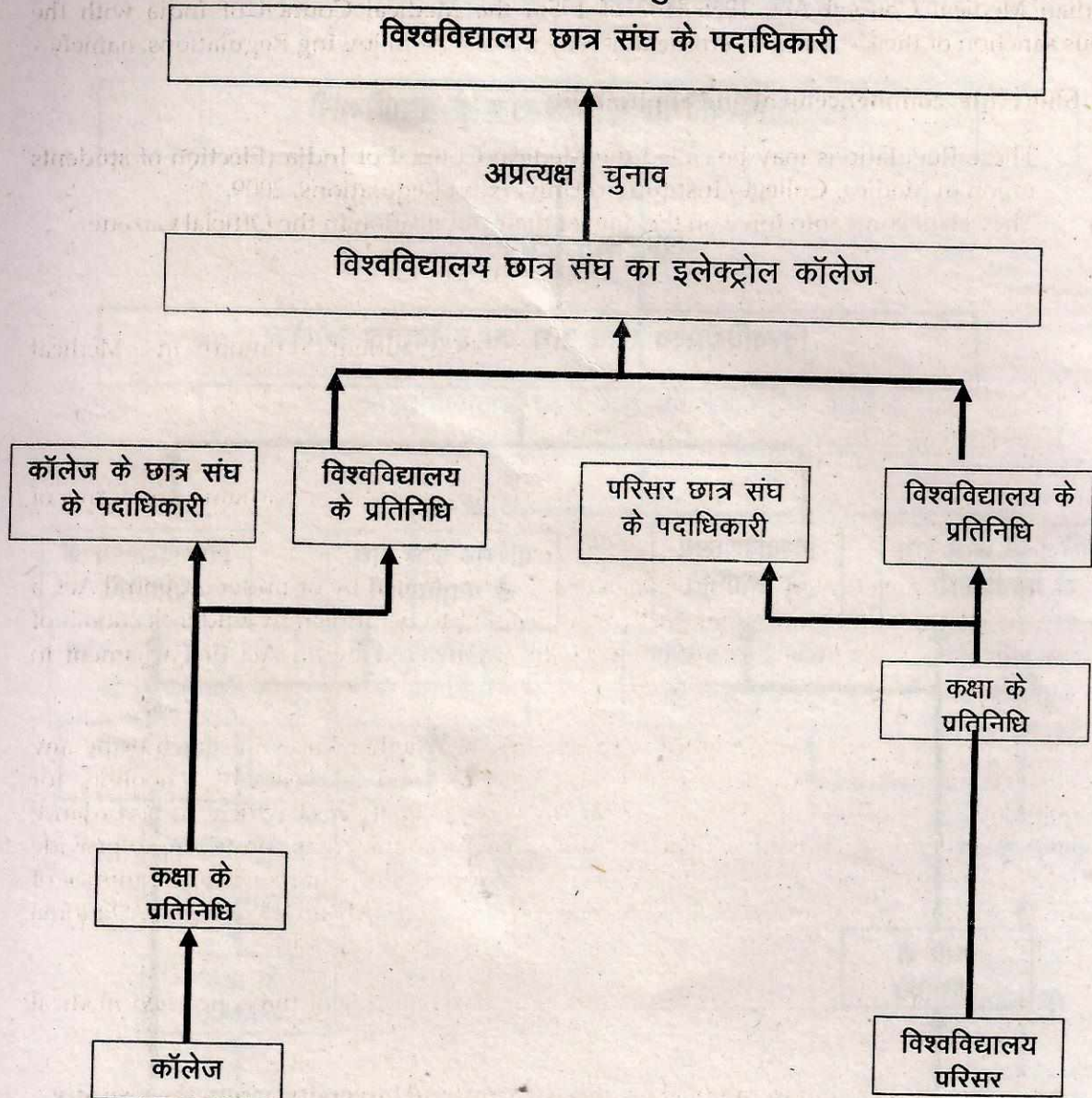
अनुबंध-ग

चार्ट - 3 : कॉलेज/परिसर/ विश्वविद्यालय (अपेक्षाकृत बड़े विश्वविद्यालयों) में प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष चुनाव



अनुबंध-घ

चार्ट - 4 : कॉलेज/परिसर/ विश्वविद्यालय (अपेक्षाकृत बड़े विश्वविद्यालयों)
में अप्रत्यक्ष चुनाव



अशोक कुमार हरित, उप सचिव (प्रशा.)

[विज्ञापन III/4/असा./100/2010]

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2010

No. MCI-34(1)/2009-Med./66611.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely:-

1. Short title, commencement and applicability

- (i) These Regulations may be called the Medical Council of India (Election of students union in Medical College/Institution/University) Regulations, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective:-

To conduct peaceful and fair election of students union in Medical College/Institution/University.

3. Definitions:- For the purposes of these Regulations:-

- 3.1 Medical Council of India means a body constituted by an Act of Parliament in terms of Section 3 of Indian Medical Council Act, 1956.
- 3.2 "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, an institution deemed to be university under Section 3 of the UGC Act, 1956, or an institution specially empowered by an Act of Parliament to confer or grant degrees.
- 3.3 "Medical College/Institution" means an institution, whether known as such or by any other name, which provides for a programme, beyond 12 years of schooling, for obtaining recognized MBBS qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognized as competent to provide for such programmes of study and present students undergoing such programmes of study for the examination for the award of recognized MBBS/PG Degree/Diploma qualifications.
- 3.4 "Head of the institution" means the Dean/Principal/Director of the concerned medical college/institution.

4. Conduction of Election in Medical College/Institution/University across the Country

- 4.1. Medical College/Institution/University across the country shall ordinarily conduct elections for the appointment of students to student representative bodies. These elections may be conducted in the manner prescribed.
- 4.2. Where the atmosphere is adverse to the conduct of peaceful, free and fair elections, the Medical College/Institution/University authorities shall initiate a system of student representation based on nominations. It would be advisable, however, not to base such nomination system on purely academic merit.

- 4.3. In cases where elections are not being held, or where the nomination model prevails, the nomination model should be allowed to continue for a transitory period.
- 4.4. Each Medical College/Institution/University shall over a period of 5 years, convert from the nomination model to a structured election model.
- 4.5. All Medical College/Institution/University shall conduct a review of the student representation mechanism. The first review may be conducted after a period of 2 years of the implementation of the mechanism detailed above, and the second review may be conducted after the 3rd or the 4th year of implementation. The primary objective of these reviews will be to ascertain the success of the representation and election mechanism in each individual institution, so as to decide whether or not to implement a full-fledged election structure. Needless to say these reviews will be based on a consideration of the views and suggestions of all stakeholders, such as students, faculty, administration, student bodies, and parents.
- 4.6. Each Medical College/Institution/University shall, as a primary objective, subject to the pertinent issue of discipline on campus, seek to implement a structured system of student elections by conclusion of a period of 5 years from the date of the notification of this Regulation.
- 4.7. Subject to the autonomy of the universities in respect of the choice of the mode of election, all Medical College/Institution/University shall institute an apex student representative body that represents all students, colleges, and departments coming under the particular university. In the event that the university is geographically widespread, individual colleges may constitute their own representative bodies, which would further elect representatives for the apex universities body.
- 4.8. The representative body so elected shall only comprise of regular students on the rolls of the institution. No faculty member, nor any member of the administration shall be permitted to hold any post on the executive of such representative body, nor shall be allowed to be a member of any such representative body.

5. Modes of Elections

- 5.1. A system of direct election of the office bearers of the student body, whereby all students of all the constituent colleges, as well as all students of the Health Sciences university departments vote directly for the office bearers. A graphic representation of this model is annexed herewith at Annexure-A.

In respect of universities with large, widespread campuses and large student bodies, either of the following models may be adopted.

- 5.2. A system of elections, where colleges and campuses directly elect college and campus office bearers, as well as the university representatives. These university representatives shall form an electoral college, which shall elect the university student union office bearers. A graphic representation of this model is annexed herewith at Annexure-B.
- 5.3. A system of elections where on one hand, directly elected college and Campus office bearers, as well as the university representatives. These university representatives shall form an electoral college, which shall elect the university student union office bearers. A graphic representation of this model is annexed herewith at Annexure-C.

- 5.4. A system of election wherein class representatives shall be directly elected in the colleges and universities campus and they in turn shall elect the office bearers for the college unions and the university campus union, they shall also elect their representatives for university student union. These elected representative from colleges and university campus shall form the Electoral College, which shall elect the office bearers of the university student union. This model shall be applicable to large health Science University with large number of affiliated medical colleges / institutions. A graphic representation of this model is annexed herewith at Annexure-D.

6 Disassociation of Student Elections and Student Representation from Political Parties.

- 6.1. During the period of the elections no person, who is not a student on the rolls of the Medical College/Institution/University, shall be permitted to take part in the election process in any capacity. Any person, candidate, or member of the student organization, violating this rule shall be subject to the disciplinary proceedings.

7. Frequency and Duration of Election Process

- 7.1. The entire process of elections, commencing from the date of filing of nomination papers to the date of declaration of results, including the campaign period, shall not exceed 10 days.
- 7.2. The elections shall be held on a yearly basis between 6 to 8 weeks from the date of commencement of the academic session.

8. Eligibility Criteria for Candidates

- 8.1. Under graduate students between the ages of 16 and 26 shall be eligible to contest elections. For Post Graduate Students the maximum age limit to legitimately contest for election shall be between the ages of 22-30 years.
- 8.2. The candidate shall in no event have any academic arrears in the year of contesting the election.
- 8.3. The candidate shall have attained the minimum percentage of attendance as prescribed by the university or 75% attendance, whichever is higher.
- 8.4. The candidate shall have one opportunity to contest for the post of office bearer, and two opportunities to contest for the post of an executive member.
- 8.5. The candidate shall not have a previous criminal record, that is to say he/she shall not have been tried and/or convicted of any criminal offence or misdemeanor. The candidate shall also not have been subjected to any disciplinary action by Medical College/Institution/University authorities.
- 8.6. The candidate shall be a regular, full time student of the Medical College/Institution/University. That is to say that all eligible candidates shall be enrolled in a full time course.

9. Election - Related Expenditure and Financial Accountability.

- 9.1. The maximum permitted expenditure per candidate shall be Rs.5000/-

- 9.2. Each candidate shall, within two weeks of the declaration of the result, submit complete and audited accounts to the Medical College/Institution/University. The Medical College/Institution/University shall publish such audited accounts within 2 days of submission of such accounts, through a suitable medium so that any member of the student body may freely examine the same.
- 9.3. The election of the candidate shall be nullified in the event of any non-compliance or in the event of any excessive expenditure.
- 9.4. The candidates shall be barred from utilizing funds from any political party or any other sources other than voluntary contributions from the student body.
10. **Code of conduct for Candidates and Elections Administrators.**
- 10.1. No candidate shall indulge in, nor shall abet, any activity, which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic, or between any group(s) of students.
- 10.2. Candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life, not connected with the public activities of the other candidates or supporters of such other candidates. Criticism of other candidates, or their supporters based on unverified allegations or distortion shall be avoided. Criticism shall be confined to policies, programmes, past record and work.
- 10.3. There shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes. Places of worship, within or without the campus shall not be used for election propaganda.
- 10.4. All candidates shall be prohibited from indulging or abetting, all activities which are considered to be "corrupt practices" and offences, such as, bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters canvassing or the use of propaganda within 100 meters of polling stations, holding public meetings during the period of 24 hours ending with the hour fixed for the close of the poll, and the transport and conveyance of voters to and from polling station.
- 10.5. No candidate shall be permitted to make use of printed posters, printed pamphlets or any other printed material for the purpose of canvassing, candidates may only utilize hand-made posters for the purpose of canvassing, provided that such hand-made posters are procured within the expenditure limit set out herein above.
- 10.6. Candidates shall only utilize hand-made posters at certain places in the campus, which shall be notified in advance by the election commission/ Medical College/Institution/University authority.
- 10.7. No candidate shall be permitted to carry out processions, or public meetings, or in any way canvass or distribute propaganda outside the Medical College/Institution/University campus.
- 10.8. No candidate shall, nor shall his/her supporters, deface or cause any destruction to any property of the Medical College/Institution/University campus, for any purpose whatsoever, without the prior written permission of the college/university authorities. All candidates shall be held jointly and severally liable for any destruction/defacing of any Medical College/Institution/University property.

- 10.9. During the election period the candidates may hold processions and /or public meetings, provided that such processions and/or public meetings do not, in any manner, disturb the classes and other academic and co-curricular activities of the Medical College/Institution/University. Further, such procession/public meeting may not be held without the prior written permission of the Medical College/Institution/University authorities.
- 10.10. The use of loudspeakers, vehicles and animals for the purpose of canvassing shall be prohibited.
- 10.11. On the day of polling, student organizations and candidates shall (i) Co-operate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly polling and complete freedom to the voters to exercise their franchise without being subjected to any annoyance or obstruction: (ii) not serve or distribute any eatables, or other solid and liquid consumables, except water on polling day; (iii) not hand out any propaganda on the polling day. Excepting the voters, no one without a valid pass/letters of authority from the Medical College/Institution/University authorities shall enter the polling booths.
- 10.12. The Medical College/Institution/University authorities shall appoint impartial observers. In the case of deemed universities and self-financed institutions, government servants shall be appointed as observers. If the candidates have any specific complaint or problem regarding the conduct of the elections they may bring the same to the notice of the observer. Observers shall also be appointed to oversee the process of nomination of students in institutions that are following the nominations model of student representation.
- 10.13. All candidates shall be jointly responsible for ensuring the cleaning up of the polling area within 48 hours of the conclusion of polling.
- 10.14. Any contravention of any of the above recommendations may make the candidate liable to be stripped of his candidature, or his elected post, as the case may be. The Election Commission/ Medical College/Institution/University authorities may also take appropriate disciplinary action against such a violator.
- 10.15. In addition to the above-mentioned code of conduct, certain provisions of the Indian Penal Code, 1860 (Section 153-A and Chapter IX-A - "Offences Relating to Election"), will be applicable to the student elections.
- 11. Grievances Redressal Mechanism.**
- 11.1. A Grievances Redressal Cell shall be constituted with the Dean (Student Welfare) /teacher in charge of student affairs as its chairman, one senior faculty member, one senior administrative officer and two final year students - one boy and one girl (till the election results declared, students can be nominated on the basis of merit and/or participation in the co-curricular activities in the previous year). The grievance cell shall be mandated with the redressal of election-related grievance, including, but not limited to breaches of the code of conduct of elections and complaints relating to election-related expenditure. This cell would be the regular unit of the institution.
- 11.2. In pursuit of its duties, the grievance cell shall prosecute violators of any aspect of the code of conduct or the rulings of the grievance cell. The grievance cell shall serve as the

- court of original jurisdiction. The institutional head shall have appellate jurisdiction over issues of law and fact in all cases or controversies arising out of the conduct of the elections in which the grievance cell has issued a final decision. Upon review, the institutional head may revoke or modify the sanctions imposed by the grievance cell.
- 11.3. In carrying out the duties of the office, the Grievance cell shall conduct proceedings and hearing necessary to fulfill those duties. In executing those duties they shall have the authority: (i) to issue a writ of subpoena to compel candidates, agents, and workers and to request students to appear and give testimony, as well as produce necessary records; and (ii) to inspect the financial reports of any candidate and make these records available for public scrutiny upon request.
- 11.4. Members of the Grievance cell are prohibited from filing complaints. Any other student may file a complaint with the Grievance cell, within a period of 3 weeks from the date of declaration of results. All complaints shall be filed under the name of the student filing the complaint. The Grievance cell shall act on all complaints within 24 hours after they are received by either dismissing them or calling a hearing.
- 11.5. The Grievance cell may dismiss a complaint if (i) The complaint was not filed within the time frame prescribed; (ii) the complaint fails to state a cause of action for which relief may be granted. (iii) the complainant has not and/or likely will not suffer injury or damage.
- 11.6. If a complaint is not dismissed, then a hearing shall be held. The Grievance cell shall inform, in writing, or via e-mail, the complaining party and individuals or groups named in the complaint of the time and place of the hearing. The parties are not considered notified until they have received a copy of the complaint.
- 11.7. The hearing shall be held at the earliest possible time, but not within twenty-four (24) hours after receipt of the notice described above, unless all parties agree to waive the 24 hour time constraint.
- 11.8. At the time, notice of hearing is issued, the Grievance Cell, by majority vote, may issue a temporary restraining order, if it determines that such action is necessary to prevent undue or adverse effects on any individual or entity. Any restraining order, once issued, will remain in effect until a decision of the Grievance Cell is announced after the hearing or until rescinded by the Grievance Cell.
- 11.9. All Grievance Cell hearing, proceedings, and meetings shall be open to the public.
- 11.10. All parties of the Grievance Cell hearing shall present themselves at the hearing, may be accompanied by any other student from which they can receive counsel, and have the option to be represented by that counsel.
- 11.11. For any hearing, a majority of sitting Grievance Cell members shall be in attendance with the Chair of the Grievance Cell presiding. In the absence of the Chair, the responsibility to preside shall fall to an Grievance Cell member designated by the Chair.
- 11.12. The Grievance cell shall determine the format for the hearing, but shall require that both the complaining and responding parties appear physically before the board to discuss the issues through a complaint, answered, rebuttal, and rejoinder format. The purpose of the hearing is to gather the information necessary to make a decision, order, or ruling

that will resolve an election dispute. To effectuate this purpose, the following rules shall prevail at all hearings:

- Complaining parties shall be allowed no more than two witnesses, however, the Grievance cell shall call witnesses as required. If said witnesses are unable to appear at the hearing, signed affidavits may be submitted to the Grievance Cell Chair for the purpose of testifying by proxy.
- All questions and discussions by the parties in dispute shall be directed to the Grievance Cell.
- There shall be no direct or cross-examination of any party or witness by complaining or responding parties during hearings.
- Reasonable time limits shall be set by the Grievance Cell provided they give fair and equal treatment to both sides.
- The complaining party shall bear the burden of proof.
- Decisions, orders and rulings of the Grievance Cell shall be concurred to by a majority of the Grievance Cell present and shall be announced as soon as possible after the hearing. The Grievance cell shall issue a written opinion of the ruling within 12 hours of announcement of the decision. The written opinion shall set forth the findings of fact by the Grievance Cell and the conclusions of law in support of it. Written opinions shall set a precedent for a time period of three election cycles for Grievance Cell ruling; and shall guide the Grievance Cell in its proceedings. Upon consideration of prior written opinions, the grievance cell may negate the decision, but shall provide written documentation of reasons for doing so.
- If the decision of the Grievance Cell is appealed to the institutional head, the Grievance Cell shall immediately submit its ruling to the commission.
- The Grievance Cell shall select the remedy or sanction most appropriate to both the type and severity of the infraction, as well as the stand of mind or intent of the violator as determined by the Grievance Cell. Possible remedies and sanctions include, but are not limited to, fines, suspension of campaigning privileges, and disqualification from the election.
- Any fine or total amount of fines against a candidate in an election cycle may not exceed the spending limit as defined herein above.
- If, after a hearing, the Grievance Cell finds that provisions of this Code were violated by a candidate, or a candidate's agent or workers, the Grievance Cell may restrict the candidate, or the candidate's agents or workers, from engaging in some or all campaign activities for some or all of the remainder of the campaign. If an order is issued covering only part of the remaining period, it shall take effect immediately so that after its termination, the candidate will have an opportunity to resume campaigning during the days immediately prior to and including the election days.
- If, after a hearing, the Grievance Cell finds that provisions of either this Code or decisions, opinions, orders, or ruling of the Grievance Cell have

236 68/10-4

been willfully and blatantly violated by a candidate, or a candidate's agents or workers, the Grievance Cell may disqualify the candidate.

- Any party adversely affected by a decision of the Grievance Cell may file an appeal with the institutional head within twenty four (24) hours after the adverse decision is announced. The institutional head shall have discretionary appellate jurisdiction over the Grievance Cell in all cases in which error on the part of the Grievance Cell is changed.
- The decision of the Grievance cell shall stand and shall have full effect until the appeal is heard and decided by the institutional head.
- The institutional head shall hear appeals of Grievance Cell rulings as soon as possible, but not within twenty four (24) hours after the Grievance cell delivers to the Appellant and the institutional head a copy of its written opinion in the case. Appeal may be heard prior to this time, but only if the Appellant waives the right to a written opinion and the institutional head agrees to accept the waiver.
- The institutional head can issue suitable orders to suspend or halt the operation of the ruling issued by the Grievance Cell until the appeals are decided.
- The institutional head shall review findings of the Grievance cell when appealed. The institutional head may affirm or overturn the decision of the Grievance cell, or modify the sanctions imposed.

12. Maintaining Law and Order on the Campus during the Election Process.

- 12.1. Any instance of acute lawlessness or the commission of a criminal offence shall be reported to the police by the Medical College/Institution/University authorities as soon as possible, but not later than 12 hours after the alleged commission of the offence.

13. Miscellaneous Recommendations

- 13.1. Student representation is essential to the overall development of students, and, therefore, it is recommended that university statutes should expressly provide for student representation.
- 13.2. The Medical College/Institution/University should organize leadership-training programs with the help of professional organizations so as to groom and instill in students leadership qualities.
- 13.3. In the event of the office of any major post of office bearers falling vacant within two months of elections, re-elections should be conducted; otherwise the Vice President may be promoted to the post of President and Joint Secretary to the post of Secretary, as the case may be.

Modes of Elections

Chart - 1: Direct Election in University Campus

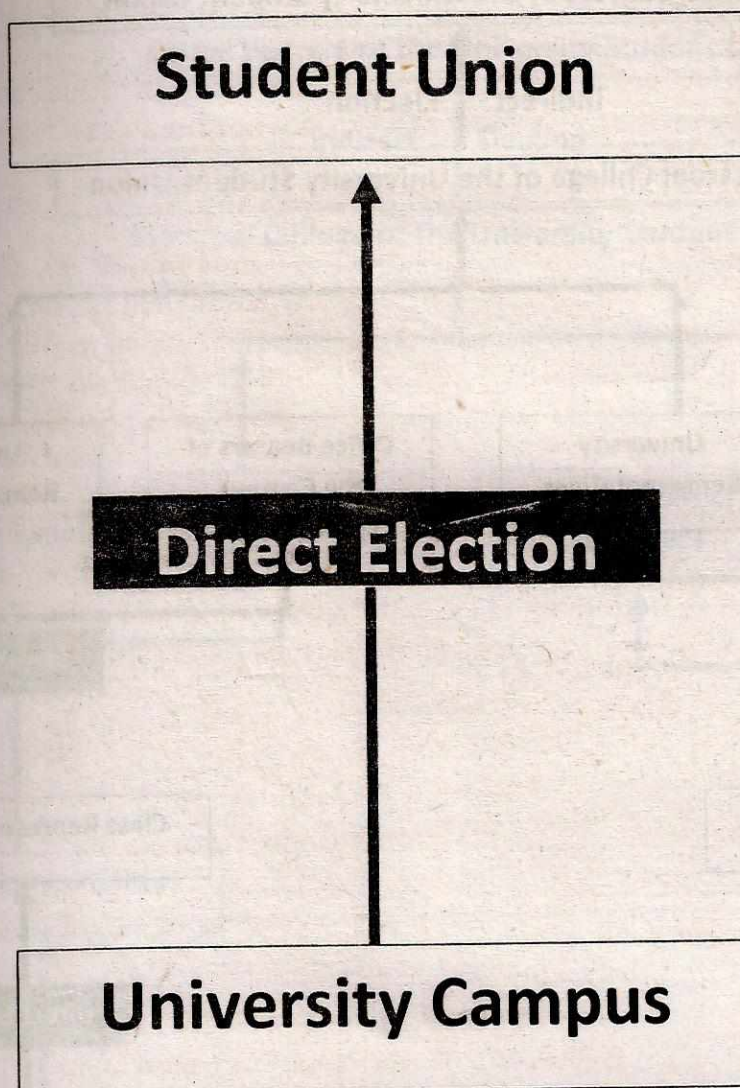


Chart - 2: Direct/ Indirect Elections in College/Campus/University (Larger Universities)

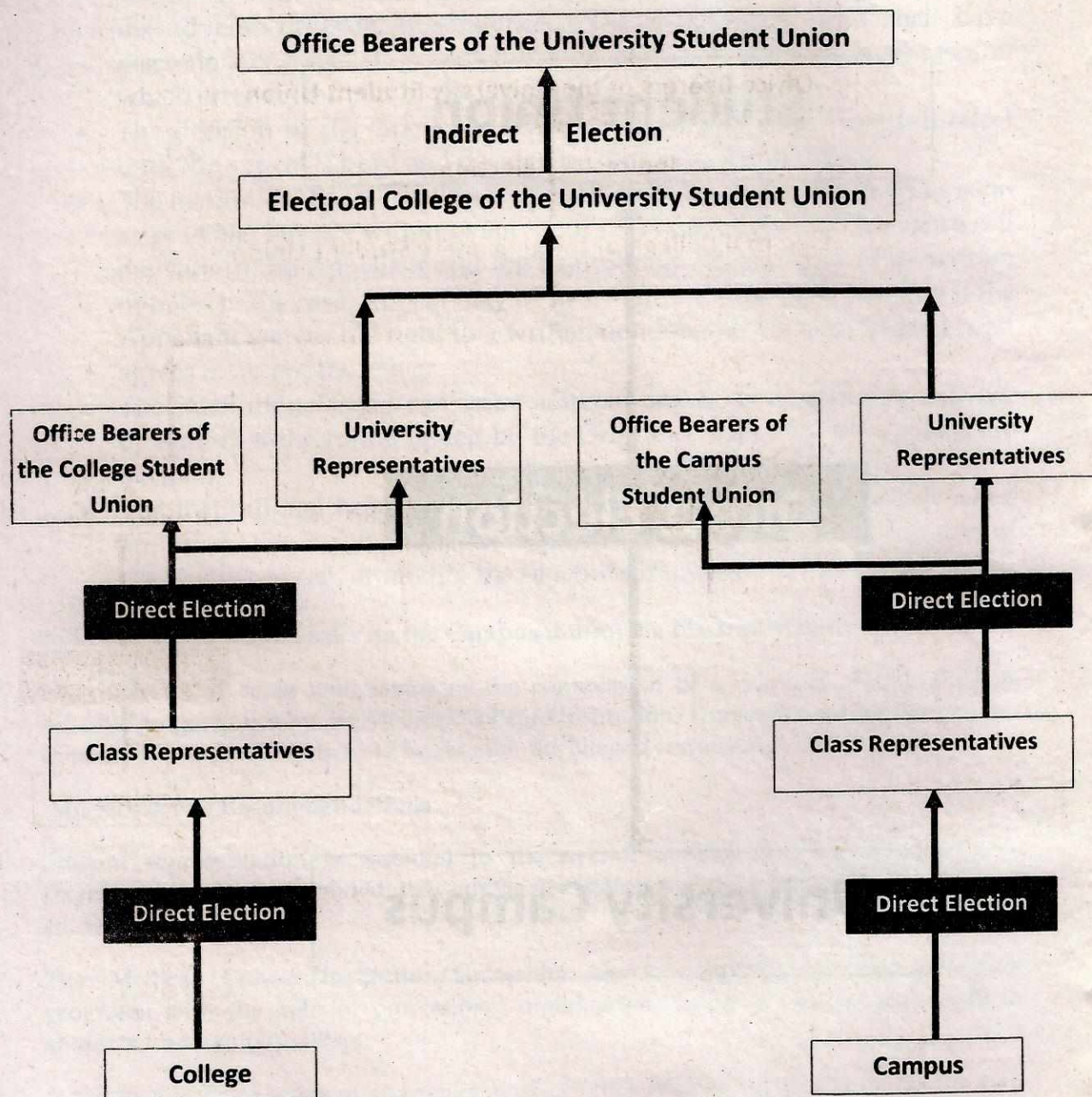


Chart - 3: Direct/ Indirect Elections in College/Campus/University (Larger Universities)

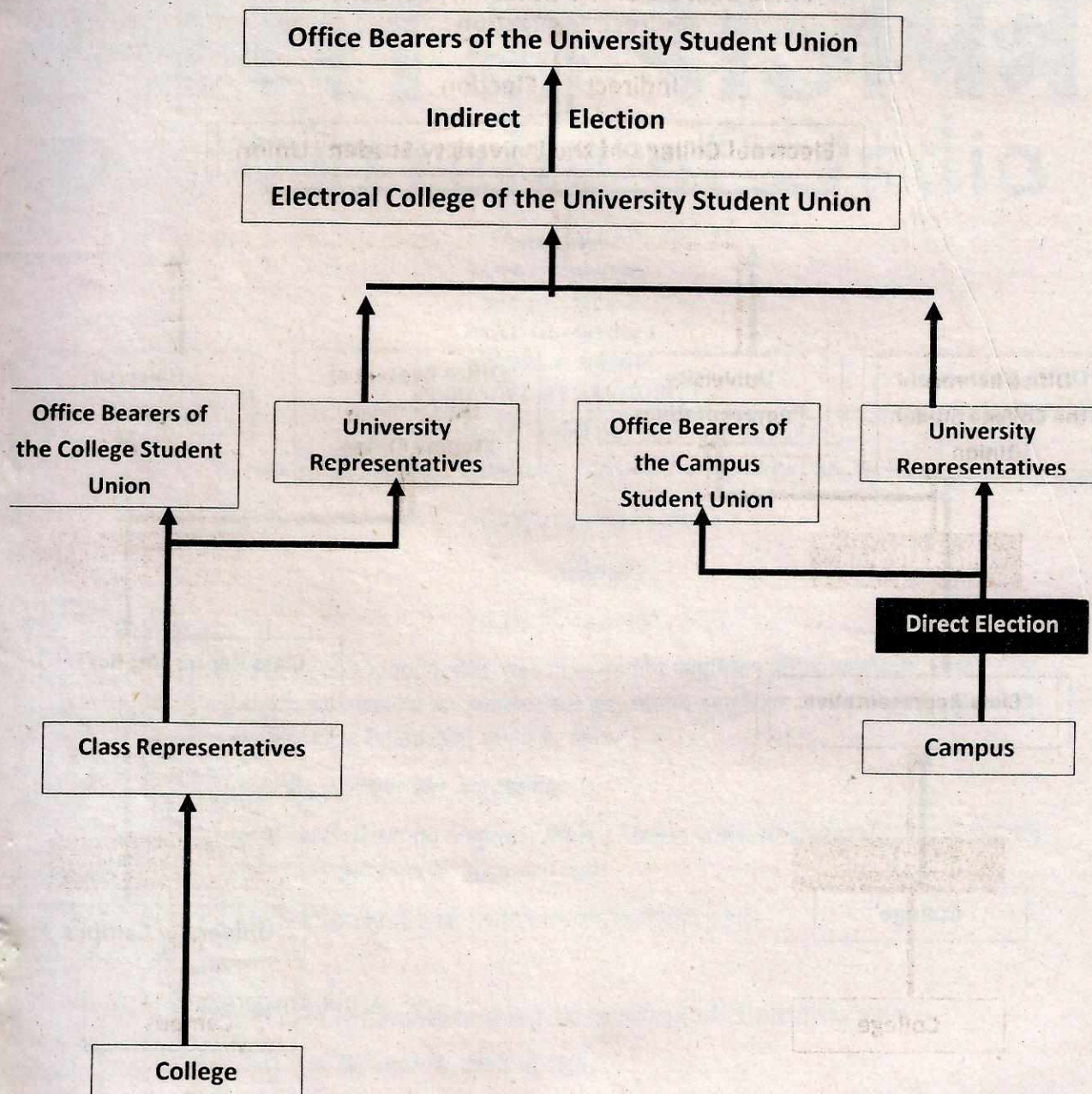
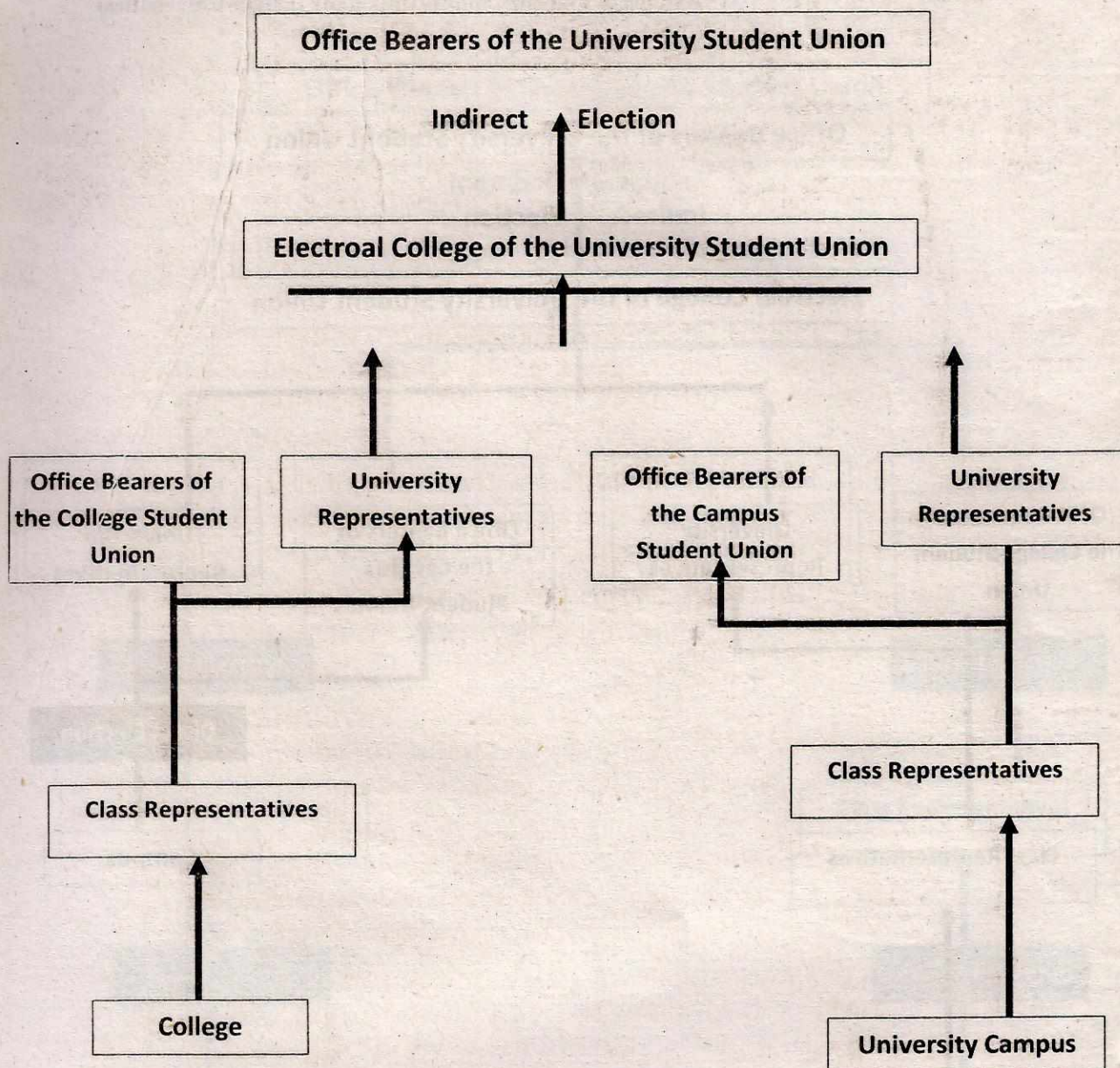


Chart - 4: Indirect Elections in College/Campus/University (Larger Universities)



ASHOK KUMAR HARIT, Dy. Secy.(Admn.)

[ADVT III/4/Exty./100/2010]